




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

मौ० सलीम खान

वनाम

आजीउद्दीन खान

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
<p>30-11-17</p>	<p>अगिलेख सं०-एम.....154/2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रगारी  <u>तमाड</u> के अप्राथमिकी सं०-57/17 दिनांक-28-10-17 प्रस्तुत                      पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>जमीनी खिताद</u>  <u>को लेकर उभय पक्ष में तनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति                      क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे                      जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त                      पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं०                      की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय                      पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष                      तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक                      हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि                      दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि 15-12-17 को उपस्थापित करें।                      लेखापित एवं संशोधित</p> <p align="center">                       कार्यपालक दण्डाधिकारी,                      बुण्डू।                 </p> <p align="center">                       कार्यपालक दण्डाधिकारी,                      बुण्डू।                 </p>	<p>15-12-17</p> <p align="center"> <u>आमलौरण उपस्थापित   उभय पक्ष</u>  <u>अनुपस्थित   दिनांक 05-01-18 को</u>  <u>रखे।</u> </p> <p align="center">                       15/12/17                 </p>

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
25-06-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। उमय पत्र  <del>अनुपस्थित</del> दिनांक 20-          07-18 को रखा।</p> <p style="text-align: right;">f 25/6/18</p>
20-07-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। उमय पत्र          अनुपस्थित। दिनांक 06-08-18 को          रखा।</p> <p style="text-align: right;">f 20/7/18</p>
06-08-18	<p>अभिलेख उपस्थापित। उमय पत्र          अनुपस्थित। उक्त वाद में 6 (छः) माह          की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद          कालबाधित हो गया है। उक्त वाद में          अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">f 6/8/18</p>